

संपादकीय

जुड़िशरी में विविधता

के द्र सरकार ने कानून और न्याय से जुड़ी संसदीय समिति को हाल ही में सूचित किया कि 2018 के बाद से अब तक हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए जजों में से 79 फीसदी ऊंची जातियों में हैं। कानून मंत्रालय के अपनी रिपोर्ट में वह भी कहा है कि जजों की नियुक्ति का कलीनियम सिस्टम तीन दशकों में भी न्यायपालिका के ऊपरी हिस्से में सामाजिक विविधता स्थापित नहीं कर पाया है। 10 जनवरी के अंक में हाथापे सहवायी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस विषय पर संपादकीय प्रकाशित किया है, जिसमें इस स्थिति को कलीनियम सिस्टम की कमियों से जोड़ कर देखने का प्रयास किया गया है। संपादकीय कहता है कि कलीनियम सिस्टम को जिस कारणों से आलोचनाएँ होती रही हैं। उसमें एक सार्वजनिक संस्थानों में दिखने वाले सामाजिक संयोजन से उपरी कीथित उदासीनता भी है। संपादकीय इसी संदर्भ में न्यायिक नियुक्तियों में ही रहे थाई-भारीजावाद के जिहव करता है और आपस में संपर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार, सत्रह सतत विकास लक्ष्यों में से सात के लिए, वित्तीय समावेशन की क्षमता-प्रदाता के रूप में फहचान की गयी है।

ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की रिपोर्ट बताती है कि 2015-16 में एलाइंसी कोर्स में महिलाओं का जो अनुपात 44 फीसदी था, वह 2019-20 में बढ़कर 53 फीसदी हो गया था। इसी तरह कुल एलाइंसी एनरोगेंट में एसटी (अनुसूचित जाति) 13 फीसदी और ओवीसी 29 फीसदी है।

हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में स्थितियां बदल भी रही हैं। उदाहरण के लिए, न्यायिक क्षेत्र की ही बदल कर तो दो तीन दशक पहले तक यह दलाल चल जाती थी कि जो पुल उपलब्ध रहेगा उसी का अनुपात तो नियुक्तियों में दिखेगा। लेकिन अब लॉक पढ़ाई कर रहे हैं और इस दलाल के दोनों देशों में अन्य देशों में अन्य क्षेत्रों में भी दिखायी नहीं है। तब से, जीएफआई द्वारा वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ावा देने की दिशा में काम किए गए हैं। इसमें कई उपयोगी नीति दसावेज तैयार किए हैं और उन्हें लागू किया है, जिसमें डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए जी-20 उच्च-स्तरीय सिद्धांत शामिल हैं। इसने धन-प्रणय की लागत को कम किया है और सतत औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच व उपयोग में वृद्धि की है, जिसके माध्यम से वित्तीय सुधारों से वर्चित व्यक्तियों, परिवारों और उद्यमों के लिए अवसरों का विस्तार हुआ है।

